प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 10.04.2024 को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयीः-

1-अवैध चाकू के साथ 01 आरोपी गिरफ्तार थाना मैनाठेरः-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अवैध शस्त्रो के निर्माण / तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व संलिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 10.04.2024 को उ0नि0 भूपेन्द्र सिंह थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद द्वारा मय हमराही पुलिस बल के आरोपी विनोद पुत्र गजराम निवासी ग्राम मधुपुरी थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद को अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में थाना मैनाठेर पर आरोपी उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0- 119/2024 धारा- 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

2- अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 आरोपी गिरफ्तार थाना कांठ:-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अवैध शस्त्रो के निर्माण / तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व संलिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 09.04.2024 को उ0नि0 विनीत कुमार थाना काँठ जनपद मुरादाबाद द्वारा मय हमराही पुलिस बल के आरोपी शब्बु उर्फ इमरान पुत्र खिलाफत निवासी ग्राम गढ़ी थाना काँठ जनपद मुरादाबाद को अवैध एक तमंचा तमंचा देशी व 01 कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना कांठ पर आरोपी उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0- 131/2024 धारा- 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है। आरोपी उपरोक्त शातिर किस्म का अपराधी है जिस पर पूर्व में भी अन्य अभियोग पंजीकृत है।

आपराधिक इतिहास--

1.मु0अ0सं0 46/2013 धारा 380 भादवि थाना काँठ,
2. मु0अ0सं0 38/2018 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना काँठ,
3. मु0अ0सं0 98/2014 धारा 380/411 भादवि थाना काँठ,
4. मु0अ0सं0 102/2013 धारा 380/457 भादवि थाना काँठ,
5. मु0अ0सं0 102/2015 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना काँठ,
6.मु0अ0सं0 153/2014 धारा 392/411 भादवि थाना काँठ,
7. मु0अ0सं0 157/2014 धारा 102/41 सीआरपीसी व 411/420 भादवि थाना काँठ ,
8. मु0अ0सं0 348/2017 धारा 380/411 भादवि थाना काँठ,
9. मु0अ0सं0 349/2017 धारा 102/41 सीआरपीसी व 411/413/414/420 भादवि थाना कांठ,
10. मु0अ0सं0 60/2015 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना छजलैट मुरादाबाद,
11. मु0अ0सं0 154/2013 धारा 380 भादवि थाना काँठ,
12. मु0अ0सं0 250/2013 धारा 380/457 भादवि थाना काँठ,
13. मु0अ0सं0 117/2011 धारा 323/324/325/308/504 भादवि थाना काँठ जनपद मुरादाबाद।

3- दिनांक 08/09.04.2024 को थाना कटघर क्षेत्रान्तर्गत एक व्यक्ति की हत्या करने वाले 02 अभियुक्तगण को थाना कटघर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनाँक 08/09.04.2024 की रात्रि के समय थाना कटघर क्षेत्रान्तर्गत मैदामिल के पास कब्रिस्तान लाजपतनगर में एक व्यक्ति के शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर उच्चाधिकारीगण के साथ थाना कटघर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जिसके पश्चात मृतक की पहचना विष्णु सैनी पुत्र हीरालाल नि0 शिवनगर जयन्तीपुर थाना मझोला,मुरादाबाद के रूप में हुई। मृतक विष्णु उपरोक्त की उसके सिर मे पत्थर मारकर हत्या कर देना प्रतीत हो रहा था। मौके से खून से लथपथ पत्थर को भी पुलिस द्वारा बरामद किया गया था। शव का पंचनामा भर पोस्टमोर्टम हेतु भिजवाया गया । इसके सम्बन्ध में मृतक के भाई की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कटघर पर मु0अ0सं0- 164/2024 धारा- 302 भा0द0वि0 बनाम 1.अनिकेत पुत्र रामप्रकाश सैनी निवासी डबल फाटक थाना कटघर जनपद मुरादाबाद 2. सचिन शर्मा उर्फ बिटटू पुत्र ओमकार शर्मा मूल निवासी संजयनगर कालोनी थाना बारादरी जनपद बरेली हाल निवासी होली चौक भदोड़ा थाना कटघर जनपद मुरादाबाद पंजीकृत किया गया।
हत्या की उक्त सनसनीखेज घटना होने पर, घटना में सम्मिलित अभि0 गण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, मुरादाबाद के निर्देशन के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी कटघर के पर्यवेक्षण एवं नेतृत्व में थाना कटघर पर टीम गठित की गयी।

उक्त संबंध में टीम द्वारा साक्ष्यों व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त दिनांक 09.04.2024 की रात्रि को उक्त घटना का सफल अनावरण करते हुये घटना में शामिल अभियुक्तगणः-1.अनिकेत पुत्र रामप्रकाश सैनी निवासी डबल फाटक थाना कटघर जनपद मुरादाबाद 2. सचिन शर्मा उर्फ बिटटू पुत्र ओमकार शर्मा (मूल निवासी संजयनगर कालोनी थाना बारादरी जनपद बरेली) हाल निवासी होली चौक भदोड़ा थाना कटघर,मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः- 1.अनिकेत पुत्र रामप्रकाश सैनी निवासी डबल फाटक थाना कटघर जनपद मुरादाबाद 2. सचिन शर्मा उर्फ बिटटू पुत्र ओमकार शर्मा मूल नि0 संजयनगर कालोनी थाना बारादरी जनपद बरेली हाल निवासी होली चौक भदोड़ा थाना कटघर जनपद मुरादाबाद।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त अनिकेत सैनी से पुलिस द्वारा पूछताछ की गई तो बताया कि मेरी व सचिन शर्मा उर्फ बिट्टू की विष्णु पुत्र हीरालाल नि0 शिवनगर जयन्तीपुर थाना मझोला जनपद मुरादाबाद से अच्छी जान पहचान थी, हम तीनों का आपस में उठना बैठना व खाना पीना साथ-2 था। 03 -04 दिन पहले मुझे व सचिन को डबल फाटक के पास विष्णु मिला था और मेरे मौहल्ले के कुछ लोग भी वहाखडे थे। मेरी पत्नी का मुझसे विवाद चल रहा है, जो करीब 1.5(डेढ़) वर्ष से अपने मायके में ही रह रही है। मेरी पत्नी कि सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति ने फोटो डाल रखी है, जिसमें एडिट करके कुछ आपत्तिजनक शब्दो का प्रयोग कर रखा है। जब मैने उक्त पोस्ट अपने दोस्तो को दिखायी तो विष्णु(मृतक) ने कहा कि तो विष्णु ने भी मेरी पत्नी के संबंध में उक्त आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। विष्णु की बात सुनकर मैं काफी परेशान हुआ था मुझे आत्मगलानी महसूस हुई। जिस कारण मुझे काफी गुस्सा आ गया और मेरी विष्णु से कहासुनी हो गयी थी। उस समय मेरे साथ खड़े दूसरे साथी सचिन शर्मा उर्फ बिटटू ने कहा कि विष्णु यार तेरी बहुत गलत बात है तू ऐसा किसी की पत्नी के लिये कैसे कह सकता है। मृतक विष्णु की जमीन कुछ दिन पहले ही बिकी थी, जिससे उसके पास बहुत पैसा था। जिस कारण वह हम दोनों को शराब पिलाता व खुद भी पीता था। दिनांक 08.04.24 को शाम के समय मैं व सचिन शर्मा उर्फ बिटटू विष्णु के घर गये, जहां से विष्णु को उसके घर से उसकी स्कूटी पर साथ लेकर मेरी पत्नी के बारे मे कह अपशब्दों को लेकर खुन्दक पर योजनाबद्ध तरीके से विष्णु की हत्या के उद्देश्य से पहले से ही चिन्हित स्थान विष्णु को मैदा मिल के पास कब्रिस्तान में ले गये। वहा मैने व सचिन शर्मा उर्फ बिटटू ने विष्णु को बहुत शराब पिलाई तो विष्णु पुनः मेरी पत्नी के बारे में वही पुरानी गलत बात करने लगा जिससे मुझे और अधिक गुस्सा आ गया। मैंने पास में ही पडा एक पत्थर उठाकर विष्णु के सर में मार दिया। जिससे विष्णु जमीन पर गिर गया। फिर मेरे दोस्त सचिन शर्मा उर्फ बिटटू ने भी वही पत्थर उठाकर विष्णु को जान से मारने नियत से सिर व मुंह पर मार दिया। विष्णु के खून के छिटे हमारे पहने कपड़ो पर लग गये थे,जिन्हे छिपाते हुये हम दोनो विष्णु को मारकर तथा उसकी स्कूटी को वही छोडकर भाग गये। अब तक हम पुलिस की गिरफ्तारी के डर से इधर उधर छुप रहे थे।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

अभियुक्त अनिकेत-

1. मु0अ0स0 136/2022 धारा 323/504 भादवि व 3(2)(va) एससी एसटी एक्ट थाना कटघर जिला मुरादाबाद
2. मु0अ0सं0 33/2023 धारा 147/323/376/452/506 भादवि थाना कटघर जिला मुरादाबाद
3. मु0अ0सं0 164/2024 धारा 302 भादवि थाना कटघर जिला मुरादाबाद

अभियुक्त सचिन शर्मा उर्फ बिट्टूः-

मु0अ0सं0 164/2024 धारा 302 भादवि थाना कटघर जिला मुरादाबाद

अभियुक्त से बरामदगी :-

अभियुक्त अनिकेत से घटना के समय पहनी काले रंग की टीशर्ट व काले रंग का लोवर जिस पर खून के धब्बे लगे है तथा अभियुक्त सचिन शर्मा उर्फ बिट्टू से घटना के समय पहनी कमीज चैक दार तथा सलेटी जिन्स जिन पर खून के धब्बे लगे है।

घटना स्थल से बरामदगीः-

फिल्ट यूनिट द्वारा घटना स्थल से भौतिक साक्ष्य एकत्रित किये गये तथा घटना स्थल से वह पत्थर (रक्त रंजित) जिससे अभियुक्त गण द्वारा विष्णु की हत्या की गयी बरामद किया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1-श्री तेजवीर सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कटघर मुरादाबाद

2-उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह थाना कटघर मुरादाबाद

3- का0 भूपेन्द्र सिंह थाना कटघर,मुरादाबाद।

4. हे0का0 दीपक बरगौती थाना कटघर,मुरादाबाद।

5. का0 पलक बालियान थाना कटघर,मुरादाबाद।

6. का0 अंचुल तोमर थाना कटघर,मुरादाबाद।

4- थाना सिविल लाईन्स पुलिस द्वारा 01 शातिर स्मैक तस्कर को 50 ग्राम अवैध स्मैक के साथ किया गिरफ्तार।

अवगत कराना है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के निर्देशन में जनपद मुरादाबाद को नशा मुक्त शहर बनाने की दिशा मे किये जा रहे प्रयासों के क्रम में चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर के निकट पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन्स के नेतृत्व में आज दिनांक 10.04.2024 को थाना सिविल लाइन्स पुलिस टीम द्वारा थाना सिविल लाइन्स क्षेत्रान्तर्गत चौकी क्षेत्र फकीरपुरा के मौहल्ला आदर्श कॉलोनी (भातू कॉलोनी) में मादक पदार्थो की बिक्री किये जाने तथा मुरादाबाद व आस-पास के क्षेत्र के विभिन्न शैक्षणिक व व्यवसायिक संस्थानों से आने वाले लोगो द्वारा मादक पदार्थों के यहां से खरीदने व सेवन करने,की प्राप्त शिकायत व मुखबिर की सूचना पर चैंकिग के दौरान अभियुक्त रवि राजन पुत्र सरन सिंह निवासी आदर्श कालोनी थाना सिविल लाईन्स,मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 50 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। इस सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन्स पर मु0अ0सं0-338/2024 धारा-8/22 NDPS एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त थाना सिविल लाईन्स पर पूर्व से पंजीत 03 अन्य अभियोग- मु0अ0सं0-259/2024 धारा-8/22/29 NDPS एक्ट, मु0अ0सं0- 262/2024 धारा 272/273 भादवि व धारा 60(2) आबकारी अधि0, मु0अ0सं0- 289/2024 धारा- 8/22/29 NDPS एक्ट में भी वांछित चल रहा था।

विवरण पूछताछ अभियुक्तः-

पुलिस पूछताछ में अभियुक्त रवि राजन उपरोक्त ने बताया कि मै अपने साथियों के साथ मिलकर संयुक्त गिरोह के रूप में चोरी छिपे स्मैक, अवैध शराब व अन्य मादक पदार्थो की खरीद फरोख्त का काम करता हूं। हम लोग 02-03 लाख रूपये की खरीद फरोख्त प्रतिदिन करते थे , परन्तु पुलिस द्वारा मेरे अन्य साथियों को अवैध मादक पदार्थो के साथ कुछ दिनों पहले गिरफ्तार किया गया था। मै अभी भी चोरी छिपे अवैध मादक पदार्थो की खरीद फरोख्त का

काम कर रहा था। अभियुक्त रवि राजन से विस्तृत पूछताछ जारी है, प्रकरण में अन्य वैधानिक कार्यवाही पुलिस द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1.रवि राजन पुत्र सरन सिंह निवासी आदर्श कालोनी थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः –

1.मु0अ0सं0- 06/2009 धारा 60 आबकारी एक्ट थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद।

2.मु0अ0सं0- 366/2012 धारा 363/366/376 आईपीसी थाना सिविल लाईन्स, मुरादाबाद।

3.मु0अ0सं0- 662/2018 धारा 135 भारतीय विद्युत अधिनियम थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद।

4.मु0अ0सं0- 379/2020 धारा 188/269 आईपीसी थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद।

5.मु0अ0सं0- 866/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद।

6.मु0अ0सं0- 259/2024 धारा /8/22/29एनडीपीएस एक्ट थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद।

7.मु0अ0सं0- 262/2024 धारा 272/273 आईपीसी व धारा 60(2) आबकारी अधि0 थाना सि0ला0, मुरादाबाद।

8.मु0अ0सं0- 289/2024 धारा 8/22/29 एनडीपीएस एक्ट थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद।

9.मु0अ0सं0- 338/2024 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी -

50 ग्राम अवैध स्मैक

गिरफ्तार करने वाली टीम –

प्रभारी निरीक्षक श्री रामप्रसाद शर्मा थाना सिविल लाईन्स, मुरादाबाद।

व0उ0नि0 श्री हरेन्द्र कुमार थाना सिविल लाईन्स, मुरादाबाद।

म0उ0नि0 रीता तेवतिया थाना सिविल लाईन्स मुरादाबाद।

हे0का0 582 राजेश कुमार थाना सिविल लाईन्स मुरादाबाद।